# राजस्थान सरकार
## आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);


क्रमांकःF4( )CCE/PI/Acknowlegment-16233/ 118 दिनांकः 21/11/2024

नोडल प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः—निजी महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के संबंध में

जैसा कि आपको विदित है विभाग का दायित्व है कि निजी महाविद्यालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों का व्यवस्थित ढंग से तथा निर्धारित समय—सीमा के अंतर्गत निपटारा किया जाये। इस उद्देश्य के लिए पारदर्शी व्यवस्था हेतु एक पोर्टल विकसित किया गया है।

यह देखा गया है कि कुछ नोडल अधिकारियों ने अभी तक समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ की है, इसलिए निजी महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदनों का समय पर निपटारा करना अत्यावश्यक है। इसलिए यह अपेक्षा की गई है कि नोडल अधिकारी समय पर निरीक्षण करें तथा पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट भेजे। इस संदर्भ में कुछ नोडल अधिकारियों की दायित्व के प्रति लापरवाही के मद्देनजर आपको निर्देशित किया जाता है कि समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी नोडल अधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि समय पर निजी महाविद्यालयों को एनओसी जारी की जा सके।

अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

RajKaj Ref
11873628

Signature valid

Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.11.19 12:54:13 IST
Reason: Approved